उपभोक्ता जागरूकता सामग्री

भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान) निदेश, 2025 समय-समय पर यथा संशोधित और/या आरबीआई द्वारा आवश्यकतानुसार/निर्देशानुसार, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) किसी सुविधा को अतिदेय, एसएमए/ एनपीए के रूप में वर्गीकृत और अधिसूचित करेगा। ऐसे खातों के आगामी अपग्रेडेशन को भी उपर्युक्त स्पष्टीकरण द्वारा निदेशित किया जाएगा। कंपनी द्वारा इस प्रकार का वर्गीकरण और अपग्रेडेशन जिस विधि से किया जाएगा, वह नीचे दिया गया है।

अतिदेय की तिथि :

यदि कोई खाता अतिदेय होता है, तो देय तिथि के लिए दिन-समाप्ति प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में उसे अतिदेय खाते के रूप में चिन्हित किया जाएगा**, चाहे ऐसी प्रक्रियाओं के रनिंग का समय कुछ भी हो।**

इसी प्रकार, उधारकर्ता खातों का एसएमए और साथ ही एनपीए के रूप में वर्गीकरण, संबंधित तिथि के लिए दिन-समाप्ति प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाएगा और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण की तिथि वही कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए दिन-समाप्ति प्रक्रिया रन की जाती है। इस प्रकार, एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि की दिन-समाप्ति पर खाते की **परिसंपत्ति** वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

अतिदेय की तिथि का उदाहरण: यदि किसी ऋण खाते की **देय तिथि 31 मार्च 2025** है, और कंपनी द्वारा इस तिथि के लिए दिन-समाप्ति प्रक्रिया रन से पूर्व पूरी देय राशि प्राप्त नहीं होती है, तो **अतिदेय की तिथि 31 मार्च 2025** होगी।

विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) वर्गीकरण:

यदि **दिन-समाप्ति प्रक्रिया** रनिंग के समय डिफ़ॉल्ट बना रहता है (निर्धारित समय-सीमा के अनुसार), तो कंपनी उस खाते को **एसएमए / एनपीए** के रूप में चिन्हित करेगी।

आरबीआई के आईआरएसीपी मानदंडों के स्पष्टीकरण में दिए गए वर्गीकरण के मानदंड इस प्रकार हैं:

ऋण / सुविधाएँ	
एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज का भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूरी तरह या आंशिक रूप से अतिदेय है।
एसएमए-0	30 दिनों तक

एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

एसएमए-1 वर्गीकरण:

उपर्युक्त उदाहरण के क्रम में, यदि 30 अप्रैल 2025 की दिन-समाप्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी खाता अतिदेय रहता है, तो उसे एसएमए-1के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एसएमए-2 वर्गीकरण:

इसी प्रकार, यदि 30 मई 2025 की दिन-समाप्ति प्रक्रिया रनिंग के बाद भी उपरोक्त खाता अतिदेय रहता है, तो इसे एसएमए-2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) वर्गीकरण:

यदि उपर्युक्त खाता 29 जून 2025 की दिन-समाप्ति प्रक्रिया रनिंग पर भी अतिदेय रहता है, तो इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिसे 'क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट' के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि संगठन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार इंड एएस मानदंडों का पालन करती है।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का अपग्रेडेशन:

एक बार जब कोई खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाता है, तो उसे मानक परिसंपत्ति - (एसएमए -0/ एसएमए -1/ एसएमए -2) के रूप में **केवल तभी अपग्रेड** किया जाएगा, जब उधारकर्ता द्वारा उस विशेष तिथि की दिन-समाप्ति गतिविधि रनिंग के समय ब्याज और मूलधन के **संपूर्ण ऋणशेष का भुगतान** कर दिया जाता है।

पुनर्गठन, वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने की तिथि (डीसीसीओ) का प्राप्त न होना आदि के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए निर्दिष्ट मौजूदा निदेश लागू रहेंगे।

नोट: हडको अपनी लेखा बहियों का रखरखाव इंड एएस के अनुसार करता है और उधारकर्ताओं का वर्गीकरण तदनुसार किया जाता है। उधारकर्ताओं का परिसंपत्ति वर्गीकरण, अग्रिमों से संबंधित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर आरबीआई द्वारा जारी मास्टर परिपत्र सहित मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उपरोक्त परिसंपत्ति / एसएमए वर्गीकरण मानदंड समय-समय पर जारी नियामक निदेशों के अनुसार परिवर्तनों के अधीन हैं।